न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 352/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88/53 आरटीए

पवन ज्याणी पुत्र राय सिंह ज्याणी जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ **– वादी**

बनाम

1. राय सिंह पुत्र टीकुराम जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. निर्मला पुत्री राय सिंह जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3. सरोज पुत्री राय सिंह जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. सुमन पुत्री राय सिंह जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. इन्दुबाला उर्फ इरा पुत्री राय सिंह जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया।

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–

1– श्री नक्षत्र सिह सिद्दू वकील वादी
2– श्री गुरमीत सिंह कलसी – वकील प्रति सं. 1 ता 5
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 6

निर्णय दिनांक :–

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी व प्रति सं. 2 ता 5 के पिता प्रति सं. 1 राय सिंह पुत्र टीकुराम के नाम चक 9 ए.एम.पी. खाता सं. 131/84 खाता राय सिंह ज.सं. 2071–74 में आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। प्रति. सं. 1 के नाम दर्ज आराजी वादी व प्रति. सं. 2 ता 5 की जददी जायदाद है। जिसमें वादी व प्रति. सं. 2 ता 5 का जन्म से ही विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। प्रति. सं. 2 ता 5 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। घरू बंटवारा मुताबिक वादी के हिस्सा प्रति. सं. 1 के नाम दर्ज आराजी में से 2.024है. आराजी आई है। अतः वादी वादग्रस्त आराजी में प्रति सं. 1 के नाम दर्ज आराजी में से 2.024है. आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करना चाहते है।

प्रति सं. 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी के घरू बंटवारा में वादी के हिस्सा में निम्न आराजी आई है:–

पवन ज्याणी पुत्र राय सिंह ज्याणी का कब्जा:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

चक 9 ए.एम.पी.

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
155/157	22	6/1/.228, 6/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 15/1/.228 15/2/0.025 गै.मु.रास्ता 18,19,20,21,22,23/0.253है.प्र

वादी दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवा अपना खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम करवाना चाहते है। कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा इस बाबत निवेदन किया किंतु वे पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इनकारी हो गए बस यही विनाय दावा है। प्रति. सं. 6 को लैण्ड होल्डर होने के कारण बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। इनके प्रति कोई प्रत्यक्ष अनुतोष नहीं चाहा गया है।

लिहाजा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात वाद वादी निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि चक 9 ए.एम.पी. खाता सं. 131/84 खाता राय सिंह ज.सं. 2071–74 में प्रति सं. 1 के नाम दर्ज आराजी में से 2.024है. आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति. सं 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे। उक्त आराजी में प्रति. सं. 2 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति. सं. 6 की आरे से जवाब स्टेट पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। प्रति सं. 1 ता 5 ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रति. सं. 6 राजपैरोकार ने जवाबदावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादी पवन ज्याणी ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ चक 9 एएमपी खाता सं. 131/84 ज.सं. 2071–74 प्रदर्श 1 व चक 9 एएमपी खाता सं. 6/6 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 9 एएमपी के खाता सं. 131/84 खाता रायसिंह ज.सं. 2071–74 मे प्रति सं. 1 रायसिह के नाम दर्ज आराजी [illegible] जद्दी जायदाद है। बहस में यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी निवेदन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी चक 9 एएमपी के खाता सं. 131/84 खाता रायसिंह ज.सं. 2071–74 मे प्रति सं. 1 रायसिह के नाम दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा/पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है किः– चक 9 ए.एम.पी. खाता संख्या 131/84 खाता राय सिह ज.स. 2071–2074 में प्रतिवादी संख्या 1 राय सिंह पुत्र टिकुराम के नाम दर्ज आराजी में से 2.024 है. आराजी का वादी पवन ज्याणी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 राय सिंह का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जावे एवं वादी का खाता चक 9 एएमपी के प.न. 155/157 मु.न. 22 किला नं. 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. रास्ता 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु. रास्ता किला नं. 18,19,20,21,22,23/0.253 प्रत्येक अनुसार अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 352/2023

पवन ज्याणी पुत्र राय सिंह ज्याणी जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ – **वादी**

बनाम

1. राय सिंह पुत्र टीकुराम जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. निर्मला पुत्री राय सिंह जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3. सरोज पुत्री राय सिंह जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. सुमन पुत्री राय सिंह जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. इन्दुबाला उर्फ इरा पुत्री राय सिंह जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– चक 9 ए.एम.पी. खाता संख्या 131/84 खाता राय सिह ज.स. 2071–2074 में प्रतिवादी संख्या 1 राय सिंह पुत्र टिकुराम के नाम दर्ज आराजी में से 2.024 है. आराजी का वादी पवन ज्याणी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 राय सिंह का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जावे एवं वादी का खाता चक 9 एएमपी के प.न. 155/157 मु.न. 22 किला नं. 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. रास्ता 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु. रास्ता किला नं. 18,19,20,21,22,23/0.253 प्रत्येक अनुसार अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि प्रश्नगत आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर ही राजस्व रिकार्ड उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.02.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official